BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 24 जनवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट के 04 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास व 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1.गोपाल उर्फ गोपाली पुत्र मोहनलाल 2.भगवानदास पुत्र फतेह सिंह 3.एनसाब उर्फ रियासत पुत्र अल्लानूर 4.मोतीलाल पुत्र मोहनलाल निवासीगण जबांकला थाना जवां जनपद अलीगढ़ द्वारा वर्ष-2017 में लूट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जा देहात पर मुअसं–429/17 धारा 395 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 09.03.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 02 गवाह परिक्षित हुआ, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 24.01.2025 को न्यायाधीश श्री मौ0 नसीम (मा0 न्यायालय एडीजे-05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण गोपाल उर्फ गोपाली, भगवानदास, एनसाब उर्फ रियासत, मोतीलाल को 07-07 वर्ष का कारावास व 02-02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विमल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।